निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 80/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. श्रीमती अंजता देवी धर्मपत्नी श्री राजेन्द्र कुमार जाति मीणा निवासी ग्राम राहोरी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर हाल निवासी हाल रेखा पटेल कालोनी, मालीवीय नगर, जयपुर।

प्रार्थिया

बनाम

1. श्री ललित कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ।
2. राहुल सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जाट निवासी खोरी, देवी सिंह, भरतपुर हाल निवासी ग्राम राहोरी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

प्रारूपिक अप्रार्थी

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 139/2024, 172/2024, 367/2024 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थितः–

1. हंस कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री नेमीचन्द जलवानिया अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 09.01.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 139/2024, 172/2024, 367/2024 विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नेमीचन्द जलवानिया ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थिया के विरूद्व एक उनवानी दावा राहुल बनाम अजंता व अन्य उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष दिनांक 18.10.2024 को अप्रार्थी के द्वारा संस्थित किया गया। दावा संस्थित किये जाने के बाद प्रार्थिया को दावे में प्रतिवादी/प्रार्थिया को नोटिस दिनाक 28.10.2024 को न्यायालय के समक्ष वाद में उपस्थिति हेतु प्राप्त होने पर प्रार्थिया दिनांक

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

28.10.2024 को जब न्यायालय हाजा में उपस्थित हुई एवं वाद के टी.आई. प्रार्थना पत्र में अपना जबाब प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया तो न्यायालय के पेशकार के द्वारा जाहिर किया गया कि उपखण्ड अधिकारी राजकार्य पर है। आज न्यायालय के वाद में कोई भी सुनवाई सम्भव नहीं है। प्रार्थिया के द्वारा दिनांक 30.10.2024 को अपने विरूद्व संस्थित उपरोक्त वाद की प्रमाणित प्रतिलिपि संख्या 1496 व 1497 नियमानुसार तय शुल्क अदा करने के पश्चात प्राप्त की एवं प्रतिलिपि प्राप्त होने के पश्चात प्रार्थिया के द्वारा विधिक विशेषज्ञों से दावा व टी. आई. का प्रतिउत्तर प्राप्त करने हेतु विधिक राय ली गई तो पाया गया कि वाद से संबंधित टी.आई. प्रार्थना पत्र में संस्थित किये जाने के दिनांक को ही न्यायालय द्वारा टी.आई. में बिना प्रार्थिया का जबाब रिकार्ड पर लिये बिना ही एवं बिना प्रार्थिया की उपस्थिति के ही अंतरिम आदेश पारित कर दिया गया । विधि का सुथापित सिद्वान्त है कि अन्तिम राहत अन्तरिम नहीं हो सकता है। बिना विधिक बिन्दुओं के निर्धारण के अंतिम रूप से अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता । दिनांक 11.11.2024 को अप्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय के समक्ष झूंठे एवं मिथ्या आधारों पर प्रार्थिया के विरूद्व प्रार्थिया को अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि जिस पर प्रार्थिया पिछले 25 वर्षो से निवास कर रही है, उस पर से जबरन बेदखल करने के उद्वेश्य से जो दावा संस्थित किया गया है उसके प्रतिउत्तर में सम्पूर्ण दस्तावेज जो कि प्रार्थिया की भूमि जो कि विधिवत रूप से न्यायालय द्वारा तकास्मा किये जाने के पश्चात एवं कब्जे के चिन्हीकरण के पश्चात अंतिम रूप से डिक्री फरमाए जाने के पश्चात निवास करने एवं स्वामित्व को साबित करने के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत कर वाद को प्रारम्भिक स्तर पर खारिज फरमाये जाने बाबत एक दिवानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया एवं बहस व उज्र न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.11.2024 को किये गये जिसे सुन कर पीठासीन अधिकारी के द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र के आदेश में आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.11.2024 नियत कर दी। प्रार्थिया दिनांक 18.11.2024 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई एवं न्यायालय के रीडर को वाद में आदेश की जानकारी के संबंध में उज्र किया गया तो न्यायालय के रीडर के द्वारा दुर्भावना पूर्वक प्रार्थिया को आदेश के संबंध में कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया । प्रार्थिया को उसी दिन न्यायालय की कॉज लिस्ट रजिस्टर से जानकारी हुई कि प्रार्थिया के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 21.10.2024 को प्रस्तुत हुआ है जिसकी प्रार्थिया को आज दिनाक तक कोई भी जानकारी नहीं है। प्रार्थिया इस संबंध में न्यायालय के कार्यालय एवं न्यायालय से जानकारी चाही परन्तु न्यायालय व कार्यालय के स्टॉफ के द्वारा जानकारी देने से स्पष्ट मना कर दिया एवं कर्मचारियों के द्वारा मौखिक रूप से प्रार्थिया को कहा गया कि आपसे संबंधित सभी प्रकरणों की पत्रावलियों में आपको किसी भी प्रकार की जानकारी देने से पीठासीन अधिकारी के द्वारा स्पष्ट रूप से मना किया गया है । उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि एक सुनियोजित तरीके से प्रार्थिया के विरूद्व प्रार्थिया के विधिक अधिकारों का हनन किये जाने की पूर्ण साजिश रची गई है जिसके माध्यम से प्रार्थिया को अपनी कब्जे काश्त

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

की भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है एवं बेदखल करने पर आमादा है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि पीठासीन अधिकारी द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी येनकेन प्रकारेण प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना चाहती है, इस कारण प्रार्थी ने काल्पनिक एवं मनघढन्त आरोप लगाते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर